

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 133/2014

दायर दिनांक-07.08.2014

1. फूलाराम पुत्र हनुमान जाति दरोगा निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)

- :: बनाम ::-

- आवेदक

1. विक्रमसिंह पुत्र सुगनसिंह
2. भवानी सिंह पुत्र सुगनसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र सुगनसिंह
4. मु0 पार्वती बेवा सुगनसिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)

वकील आवेदक : - श्री अमरसिंह शेखावत
वकील अनावेदकगण :- श्री चंद्रकांत शर्मा

-अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र
अस्थायी निषेधाज्ञा
-:: आदेश ::-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- दिनांक 30.01.2023
वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1948 रकबा 5.07 है0, खसरा नम्बर 2116 रकबा 4.68 है0 किस्म बारानी उक्त भूमि मे मेरे भाई भोमाराम पुत्र हणमान का 1/5 हिस्सा तथा 1/5 मुझ आवेदक की खातेदारी में दर्ज थी तथा खाता संख्या नया 616 पुराना 638 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2189 रकबा 0.03 है0, किस्म बारानी, खसरा नम्बर 2188 रकबा 0.07 है0 किस्म बारानी, खसरा नम्बर 2190 रकबा 2.73 हैक्टर किस्म बारानी व खसरा नम्बर 2187 रकबा 2.70 है0 किस्म बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 5.53 है0 है जिसमे मेरे भाई भोमाराम पुत्र हणमान का 1/10 हिस्सा की तथा 1/10 हिस्सा की खातेदारी मुझ आवेदक की दर्ज थी। इस प्रकार खाता संख्या 615 में मेरे भाई भोमाराम व आवेदक के हिस्से की भूमि 1/5 + 1/5 यानी खाता में 2/5 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी थी तथा खाता संख्या 616 में मेरे भाई भोमाराम व आवेदक के हिस्से की भूमि 1/10+1/10 यानी 1/5 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी दर्ज है। उक्त समस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसे आगे वाद-पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के भाई भोमाराम को असाध्य बीमारी कैंसर से पीड़ित होने पर बीमारी के इलाज के लिये अपने हिस्से की समस्त भूमि सर्वश्री सांवतसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह व सुगनसिंह पुत्र जोधसिंह जाति दरोगा को विक्रय कर दिनांक 17.09.1996 को विक्रय पत्र तस्दीक बिना प्रतिफल लिये तस्दीक करवा दिया व विक्रीत भूमि का भौतिक कब्जा बिना प्रतिफल लिये नहीं दिया, जिसकी एक लिखापढी दिनांक 25.10.1996 को क्रेतागण सांवतसिंह पुत्र भगवानसिंह व सुगनसिंह पुत्र जोधसिंह ने वादी के पक्ष में कर दी। उक्त लिखापढी निम्न प्रकार है:- हम सांवतसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह व सुगनसिंह पुत्र जोधसिंह निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू यह लिखावट कर रहे है कि हमने फूलाराम पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू से 21 इक्कीस बीघा जमीन 8000/- आठ हजार रुपये बीघा के अनुसार लिया है। जमीन की कुल रकम 1.68,000/- एक लाख अड़सठ हजार रुपये हुये। जमीन हम दोनो की आधी-आधी है तथा रकम के अनुसार सांवतसिंह, फूलाराम को 84000/- चौरासी हजार रुपये देगा तथा सांवतसिंह ने लिखावट करने से पूर्व फूलाराम को 40,000/- चालीस हजार रुपयों का भुगतान कर दिया तथा शेष रकम 44,000/- रुपये अक्टूबर 1997 तक पूरी फूलाराम को कुछ रुपये पैसे नहीं दिये और अपने कुल रकम 84,000/- चौरासी हजार रुपये अक्टूबर 1997 तक फूलाराम को दे देगें। यदि हम दोनो द्वारा ही किये गये करार (अक्टूबर 1997) तक रुपये नहीं दिये गये तो बाकी रही रकम का 2/- रुपये

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

सैंकड़ा ब्याज चालू मिति से लगेगा। यह लिखावट हमने बिना किसी नशे पते व बिना किसी दबाव की है। दिनांक 25.10.1996 बकलम व समस्त के हस्ताक्षर। 25 जून 1997 को सांवतसिंह 44,000/- रुपये भर पाया सांवतसिंह का रूपया पूर्ण 84,000/- रुपये भर पाया है। लिखावटकर्ता के हस्ताक्षर

उक्त लिखापढ दिनांक 25.10.1996 मे दोनों क्रेतागण व गांव के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर उक्त लिखापढी के मुताबिक रूपये अदा कर विक्रय भूमि का कब्जा प्राप्त कर लूंगा, परन्तु अनावेदकगण के पिता सुगनसिंह द्वारा कोई प्रतिफल अपने काल मे अदा किया ही नहीं व न ही अनावेदकगण द्वारा आज तक अदा किया है, प्रतिफल अदा नहीं करने के अभाव मे आज भी उक्त विवादग्रस्त भूमि जो अनावेदकगण न0 1 लगायत 4 के पिता सुगनसिंह ने बिना प्रतिफल दिये विधि विरुद्ध विक्रय-पत्र तस्दीक करवाया वह विक्रय पत्र बिना प्रतिफल दिये **without paying consideration null and void** उक्त विक्रय पत्र दिनांक 17.09.1996 नल एण्ड वोइड है व न ही उक्त विवादित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा दिनांक 17.09.1996 से आज तक कभी रहा है। इसलिये वादी को उक्त वाद दिनांक 17.09.1996 से कब्जा काशत की भूमि की रक्षार्थ व बिना विक्रीत भूमि का प्रतिफल दिये, जो पैतृक भूमि है की रक्षार्थ ही उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त भूमि के क्रेता सांवतसिंह पुत्र भगवानसिंह ने तो उक्त क्रयशुदा भूमि का प्रतिफल आवेदक के भाई व आवेदक को अपने हिस्से तक की क्रय की भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.09.1996 का उक्त लिखापढी दिनांक 25.10.1996 के अनुसार अदा कर दिया, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, जो सही दर्ज हुआ है, मगर विधि विरुद्ध बिना प्रतिफल दिये सुगनसिंह पुत्र जोधसिंह का नाम उक्त विवादित भूमि पर कब्जा न होते हुये भी उक्त विधि विरुद्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.09.96 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज कर दिया है, जो बिना भौतिक कब्जे व नो पे कन्डीशन के दर्ज किया है, जो आवेदक की पैतृक भूमि होते हुये दर्ज किया है, जो विधि विरुद्ध होने से आवेदक के वैध अधिकारों के खिलाफ होने से आवेदक के वैध अधिकारों पर शून्य व अवैध घोषित किया जाकर आवेदक के वैध अधिकारों के खिलाफ होने से आवेदक के वैध अधिकारों पर शून्य व अवैध घोषित किया जाकर आवेदक के वैध अधिकारों की रक्षा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अनावेदकगण को पाबन्द किया जाकर अनावेदकगण को इस अस्थाई से पाबन्द किया जावे कि तादौराने दावा विधि विरुद्ध दर्ज राजस्व अंकन की आड़ मे वादी के कब्जेशुदा जमीन पर बिना कानून की पालना किये लाठी के बल पर आवेदक को अनावेदकगण बेदखल करना चाहते है, इसलिये आवेदक के कब्जा काशत की भूमि को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, उक्त कब्जेशुदा भूमि पर न तो स्वयं कब्जा करें, न ही वादी को कब्जशुदा जमीन जो उसके भाई भोमाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, उसके हिस्से की जमीन जो अनावेदकगण नं0 1 लगायत 4 के नाम से गलत दर्ज हो गई, उससे बेदखल नहीं करें, न ही ऐसा अपने नौकर-चाकर, रिश्तेदार, नातेदार व अन्य अजनबी से ऐसा करवाये। विवादग्रस्त भूमि पैतृक होने व लिखापढी दिनांक 26.10.1996 के अनुसार क्रय की गई भूमि का प्रतिफल न तो अनावेदकगण नं0 1 लगायत 4 के पिता ने अदा किया व न ही अनावेदकगण नं0 1 लगायत 4 ने आज तक अदा किया, इसलिए **without paying consideration buying land** उक्त कोन्टेक्ट शुरू से ही विधि विरुद्ध होने से शून्य है, इसलिए उक्त लिखापढी दिनांक 26.10.96 के अनुसार आवेदक का पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला है, बिना प्रतिफल अदा किये विधि विरुद्ध राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने फिर भी कब्जा दिनांक 17.9.1996 या इससे पहले ही आवेदक का होने से जबरन बलात् कब्जा करने की कुचेष्टा किये जाने पर सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है व अपूर्णाय क्षति भी आवेदक को हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में संभव नहीं है, व्यथ की मुकदमे बाजी बढेगी, जिससे व्यर्थ मे ही पैसा लगेगा। जिससे अनावश्यक तनाव होगा, तनाव होने से मानसिक बीमारी अलग से होगी, इसलिये अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का न्याय संगत प्रस्तुत करने का अधिकारी है व अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का भी विधि संगत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। अगर आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा तो आवेदक को अपूर्णाय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा

५
ए. सी. ई. एम. (फा. डे.)
नवलगाड

159
151

गणवद फरमाया जावे कि वाके ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1970 रकबा 4.68 तथा भूमि खसरा नम्बर 1798 रकबा 5.06 है0 जिसमें आवेदक को 2/5 हिस्से के कब्जे काशत को आवेदक को अपने वैध कब्जे काशत की भूमि को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर

किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 01 व 04 की ओर से वकील श्री चंद्रकांत शर्मा उपस्थित न्यायालय आये। तथा अनावेदकगण ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :- वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा ना ही वादी ने कब्जा प्राप्त करने कि इस्तदुआ चाही है। कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद मैन्टेबल नहीं है व खारीज होने योग्य है। आवेदक ने रजिस्टर विक्रय पत्र को खारिज किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। विक्रय पत्र निरस्त का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इस लिए उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेबल नहीं है व खारीज होने योग्य है। जबाबदेहन्दा गण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार है आवेदक ने खातेदार काशतकार के खिलाफ चाही निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है बिना घोषणार्थ के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मैन्टेबल नहीं है व खारीज होने योग्य है। आवेदक ने किस हैसियत से व कौनसे कानून के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है दर्ज नहीं किया है। कानूनन आवेदक को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। आवेदक ने सभी रिकॉर्ड खातेदार काशतकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए आवेदक का उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेबल नहीं है व खारीज होने योग्य है। आवेदक ने सभी रिकॉर्ड खातेदार काशतकारों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए आवेदक का उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेबल नहीं है। आवेदक ने बिना प्रतिफल अदा किये विक्रय पत्र तस्दीक होना कथन किया है। जिसे दावे में नल एण्ड वोइड विक्रय पत्र कथन किया है जबकि ऐसा विक्रय पत्र शून्य नहीं होता है बल्कि शून्य करणीय होता है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। उक्त विक्रय पत्र 1,52,000 रुपये कि कीमत अदा करके विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल जिला एवं सेशन न्यायाधीश को है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। फूलाराम ने उक्त प्रार्थना पत्र में ना तो अपने सगे भाईयों सुल्तान, रघुवीर को पक्षकार नहीं बनाया है तथा ना ही अपनी बहिन बोदी कंवर व उसके वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। विवादित भूमि शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड के यहाँ गिरवी है जो इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार थे। जिनको पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक ने बहुत ही कमजोर आधारों पर उक्त प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रार्थना-पत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में ग्राम खिरोड की सरहद में भूमि ख0 नं0 1948 व 2116 दर्ज होना स्वीकार है इस भूमि में 1/5 हिस्सा भोमाराम का तथा 1/5 हिस्सा आवेदक का दर्ज होना स्वीकार है तथा ख0 नं0 2189, 2188, 2190, 2187 भी स्थित होना स्वीकार है। जिसमें 1/10 हिस्सा भोमाराम का होना व 1/10 हिस्सा आवेदक का होना स्वीकार है इसके अलावा सुल्तान, रघुवीर आदि का भी हिस्सा है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अपना व अपने भाई भोमाराम का हिस्सा ही अंकित नहीं किया है। इस प्रकार आवेदक न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आया है बल्कि तथ्य छुपाकर व झुंटे तथ्य अंकित करके आया है। इसलिए आवेदक कोई सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र कि धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है। भोमाराम को रूपयों की आवश्यकता थी। आवश्यकता कि पूर्ती हेतू भोमाराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि जरीये रजिस्टर विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को कब्जा सम्भाल दिया था जिस पर बाद खरीद क्रेता शांतिपूर्वक काशत व काबिज है। वाद खरीद पटवारी हल्का ने कब्जे मोक़े की सम्पूर्ण जांच करके क्रेतागण के नाम से नामान्तरण तस्दीक कर

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नखारण्ड

राजस्व रिकॉर्ड क्रेतागण के नाम से बनाया है इस प्रकार क्रेतागण बाद खरीद खरीदशुदा भूमि के
 खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज चला आ रहा है। क्रेता सुगनसिंह की मृत्यु
 के बाद विधि अनुसार उनके विधिक वारीसान खरीदशुदा भूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है तथा
 खरीदशुदा खातेदार है जो इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार था जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है
 इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबल नहीं है। इसलिए खारीज होने योग्य है तथा यह तथ्य भी गलत है
 कि विक्रय पत्र में भी भोमाराम के द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि सम्पूर्ण प्रतिफल नगद प्राप्त कर लिया है
 व कब्जा क्रेतागण को सम्भाल दिया है। इसलिए आवेदक का यह कहना कि विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के
 तस्दीक करवाया है हास्यास्पद लगता है। भोमाराम के जीवनकाल में व उसके बाद तक करीब 17 साल
 तक आवेदक व अन्य किसी ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया आज इतने वर्षों के बाद यह कहना कि
 विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के तस्दीक करवाया गया है। कानूनन चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र
 स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। यह तथ्य गलत है कि दिनांक 26.10.1996 का
 सांवतसिंह व सुगनसिंह ने लिखापढी आवेदक के पक्ष में कर दी जब विक्रय की गई भूमि का आवेदक ना
 तो खातेदार काश्तकार था ना ही उसका कोई लेना देना था। तो उसके पक्ष में लिखापढी करने का
 सवाल ही पैदा नहीं होता है अगर लिखापढी भोमाराम के पक्ष में होती तब तो कोई आधार बनता
 सांवतसिंह व सुगनसिंह ने दिनांक 26.10.1996 या अन्य किसी तिथि या मिति को कोई लिखापढी नहीं
 कि अगर आवेदन ने ऐसी कोई लिखापढी पेश की है तो वह फर्जी है। इस तरह की फर्जी लिखापढी से
 कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होते है। अगर ऐसी कोई लिखापढी थी तो पिछले 17-18 साल तक उस
 लिखापढी को सामने क्यों नहीं लाये इस प्रकार इन सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक ने तमाम फर्जी
 कार्यवाही करके फर्जी तथ्य अंकित करके फर्जी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसके लिए अलग से
 फौजदारी कार्यवाही करने का जवाबदेहन्दा अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस पैरा में आवेदक ने
 जिस लिखावट के तथ्य अंकित किये है वो सारे गलत होने से अस्वीकार है। ना तो कोई लिखापढी हुई।
 जब कोई लिखापढी हुई ही नहीं तो उसके तथ्य लिखे होने का सवाल ही पैदा नहीं होते है। इस पैरा में
 दर्ज पूरे तथ्य निराधार व झुठे है। जब सम्पूर्ण भुगतान कर दिया कब्जा प्राप्त कर लिया तो रकम अदा
 करने लिखावट करने व दो रूपये सैकड़ा का ब्याज देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर इस
 तरह की कोई लिखावट होती तो इतने वर्षों तक इस लिखावट की पालना करवाने बाबत कार्यवाही की
 जाती। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही फर्जी है जब कोई लिखावट हुई ही नहीं तो
 लिखावटकर्ता के हस्ताक्षर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह तथ्य भी गलत है कि लिखापढी दिनांक
 26.10.1996 को हुई हो ये भी गलत है कि इस गांव के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो ये भी गलत है
 कि रकम अदा करके कब्जा प्राप्त कर लूंगा लिखा गया हो। ये भी गलत है कि अनावेदकगण के पिता ने
 प्रतिफल अदा नहीं किया हो। यह भी गलत है कि विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के तस्दीक हुआ है। यह भी
 गलत है कि बिना प्रतिफल के तस्दीक विक्रय पत्र शुन्य होता हो ऐसा विक्रय पत्र शुन्य करणीय विक्रय
 पत्र होता है। जिसको केवल सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जाता है। यह गलत है कि
 अनावेदकगण का कब्जा दिनांक 17.09.1996 से आज तक नहीं है। बाद खरीद क्रेतागण व उसके बाद
 उनके विधिक वारिसानों का जबाबदेहन्दा का कब्जा चला आ रहा है जबाबदेहन्दा खरीदशुदा भूमि पर
 काबिज है। खातेदार काश्तकार है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज व्यक्ति के
 खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।
 प्रार्थना पत्र कि धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि सांवतसिंह ने क्रयशुदा भूमि
 का प्रतिफल आवेदक को अदा किया हो। जबकि सही बात यह है कि सांवतसिंह ने क्रय शुदा भूमि का
 प्रतिफल भोमाराम को ही अदा कर दिया था। उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड बन गया था। यह गलत है
 कि सुगनसिंह का कब्जा नहीं हो व गलत तरीके से उसके नाम रिकॉर्ड बन गया हो बल्कि सांवतसिंह व
 सुगनसिंह के नाम सही रिकॉर्ड बना है। जब क्रेतागण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पूर्ण प्रतिफल देकर
 खरीदशुदा क्रेता है। काबिज है खातेदार काश्तकार है तो उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का
 प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आवेदक का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है कब्जा नहीं है। रिकॉर्ड


 ए.सी.ई.एन. (फ.दे.)
 नवम्बर 2018

के नाम नहीं है तो उसे बेदखल करने व कब्जे काशत में दखल अन्दाजी नहीं करने का प्रश्न ही पैदा होता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 5 धारा गलत होने से अस्वीकार है। ये भी गलत है कि लिखापढी हुई हो। यह भी लत है कि प्रतिफल नहीं दिया गया है। यह भी गलत है कि विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के तस्दीक हुआ। यह भी गलत है कि आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला हो। इस पैरा तमाम वाकियात झुटे मनगढन्त व हज दावा पेश करने की गर्ज से लिखे गये हैं। जब आवेदक का कोई लेना देना व कब्जा है ही नहीं तो दिनांक 17.09.1996 या अन्य किसी तिथि मिति को कब्जा करने की धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह तथ्य गलत है की वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है आवेदक का ना तो कोई लेना देना है ना ही कब्जा व काशत है ना ही रिकॉर्ड उनके नाम है ना ही हक व हिस्सा है इसलिए आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है इसलिए उसे क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है और ना ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है और ना ही आवेदक को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए आवेदक का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जवाब देही बंद होने के पश्चात बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील आवेदक व अनावेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेजों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा ना ही वादी ने कब्जा प्राप्त करने कि इस्तदुआ चाही है। कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मैन्टेबल नहीं है। आवेदक ने रजिस्टर विक्रय पत्र को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है जो कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अनावेदकगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार है। आवेदक ने खातेदार काशतकार के खिलाफ चाही निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है बिना घोषणार्थ के स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आवेदक ने बिना प्रतिफल अदा किये विक्रय पत्र तस्दीक होना कथन किया है जिसे दावे में नल एण्ड वोइड विक्रय पत्र कथन किया है जबकि ऐसा विक्रय पत्र शून्य नहीं होता है बल्कि शून्य करणीय होता है। भोमाराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि जरीये रजिस्टर विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को कब्जा सम्भाल दिया था जिस पर बाद खरीद क्रेता काशत व काबिज है। वाद खरीद पटवारी हल्का ने कब्जे मौके की सम्पूर्ण जांच करके क्रेतागण के नाम से नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड क्रेतागण के नाम से बनाया है। इस प्रकार क्रेतागण बाद खरीद खरीदशुदा भूमि के खातेदार काशतकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1948 रकबा 5.07 है0, खसरा नम्बर 2116 रकबा 4.68 है0 किस्म बारानी, खाता संख्या नया 616 पुराना 638 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2189 रकबा 0.03 है0 किस्म बारानी, खसरा नम्बर 2188 रकबा 0.07 है0 किस्म बारानी, खसरा नम्बर 2190 रकबा 2.73 हैक्टर किस्म बारानी व खसरा नम्बर 2187 रकबा 2.70 है0 किस्म बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 5.53 है0 स्थित है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा ना ही वादी ने कब्जा प्राप्त करने कि इस्तदुआ चाही है। कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मैन्टेबल नहीं है। आवेदक ने रजिस्टर विक्रय पत्र को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है जो कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अनावेदकगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार है। आवेदक ने खातेदार काशतकार के खिलाफ चाही निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है बिना घोषणार्थ के स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आवेदक ने बिना प्रतिफल अदा किये विक्रय पत्र तस्दीक होना कथन किया है जिसे दावे में नल एण्ड वोइड विक्रय पत्र कथन किया है जबकि ऐसा विक्रय पत्र शून्य नहीं होता है बल्कि शून्य करणीय होता है। भोमाराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि जरीये रजिस्टर विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को कब्जा सम्भाल दिया था जिस पर बाद खरीद क्रेता काशत व काबिज है। वाद खरीद पटवारी हल्का ने कब्जे मौके की सम्पूर्ण जांच करके क्रेतागण के नाम से नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड क्रेतागण के नाम से बनाया है। इस प्रकार क्रेतागण बाद खरीद खरीदशुदा भूमि के खातेदार काशतकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज चला आ रहा है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।


ए. सी. ई. एम. (फ. डे.)
न. ड. ड. ड.

37

सुविधा का संतुलन :- बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि आवेदक के पूर्वजों नें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय करवाया जाने से प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

अपूरणीय क्षति :- उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के विरुद्ध पाये जाने आवेदक को कोई अपूरणीय क्षति प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील वाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज तंक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(~~द.सं.दी. पां.दे.~~)
सहायक कलक्टर (फ़ास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनु (राज.)